# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना पत्र संख्या–68 एवं 69/2015 जिला–राजसमन्द

उनवान : मैसर्स मिराज डेवलपमेन्ट प्रा.लि.,नाथद्वारा जिला राजसमन्द बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत–तृतीय, जयपुर एवं अपीलीय प्राधिकारी,वाणिज्यिक कर,भीलवाडा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 19.08.2015 | **खण्डपीठ**<br>**श्री सुनील शर्मा, सदस्य**<br>**श्री मनोहरपुरी,सदस्य**<br><br>अपीलार्थी की ओर से श्री एम.एल.पाटोदी,अभिभाषक व विभाग की ओर से श्री आर.के.अजमेरा, उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित।<br>यह विविध प्रार्थना पत्र अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 197 व 198/2015/राजसमन्द में पारित किये गये आदेश दिनांक 11.02.2015 एवं 21.05.2015 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किये गये हैं। माननीय खण्डपीठ द्वारा उक्त आदेश से प्रकरणों में बकाया वसूली योग्य राशियों पर स्थगन इस शर्त पर प्रदान किया गया था कि अपीलार्थी व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के उनके सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत प्रस्तुत करेगा और अपीलीय प्राधिकारी आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे।<br>अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि माननीय खण्डपीठ के आदेश दिनांक 11.02.2015 एवं 21.05.2015 की अनुपालना में आवश्यक एवं समुचित जमानत(necessary security bond) कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है,किन्तु आज दिनांक तक उक्त अपीलें निस्तारण हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित हैं। अतः उन्होंने उक्त प्रकरणों में दिये गये स्थगन आदेश की अवधि को, अपीलीय अधिकारी के द्वारा उक्त अपीलों के अन्तिम निर्णय पारित करने तक, बढाने का निवेदन किया।<br>विभाग की ओर से श्री आर.के.अजमेरा, उप राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त विविध प्रार्थना पत्र के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रकरण में समयावधि बढ़ाने के संबंध में किये गये निवेदन पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं प्रकट की गयी ।<br>उभय पक्षीय बहस सुनी गयी । अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र पर विचार करने के पश्चात् न्यायहित में यह पीठ अपील संख्या 197 व 198/2015/राजसमन्द में पारित किये गये आदेश दिनांक 11.02.2015 एवं तत्पश्चात आदेश दिनांक 21.05.2015 के द्वारा स्थगन की अवधि 31.08.2015 तक बढायी गयी थी,जिसकी अवधि दिनांक 31.08.2015 से तीन माह तक बढाते हुए, अपीलीय अधिकारी को पुनः निर्देश देती हैं कि उक्त बढायी गई अवधि में उक्त अपीलों का निस्तारण करना सुनिश्चित करे।<br>निर्णय सुनाया गया ।<br>(मनोहरपुरी)<br>सदस्य<br>( सुनील शर्मा )<br>सदस्य | |